न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 35/2020

अनवान :

1. वंशीलाल पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

- वादी

बनाम

1. सुलतान पुत्र नंदराम जाति जाट निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. कृष्ण कुमार पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
3. लिलूराम पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
4. सन्तोष पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : वादी

वकील श्री रोहताश शर्मा : प्रतिवादी सं0 1 ता 4

निर्णय दिनांक : 11-3-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा श्योराटाडा के खाता सं0 109/107 के खसरा सं0 164 की 0.253 है0, खसरा सं0 257 की 10.3070 है0 खसरा सं0 258 की 5.7920 है0 कुल क्षेत्रफल 16.3520 है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम से 1/3 हिस्सा बारानी खातेदारी काश्तकारी भूमि दर्ज है। प्रतिवादी स0 1 को उक्त कृषि भूमि अपने दादा मामचंद से विरासतन प्राप्त हुई हैं। चूकि सुलतान के पिता नंदराम का देहान्त मामचंद के देहान्त से पहले हो चुका था।

वाद कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद पैतृक सम्पति है जिसमें प्रतिवादी स0 1 सुलतान के साथ साथ वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का भी जन्म से हक निहित है। प्रतिवादीया स0 4 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। इस प्रकार प्रतिवादीया स0 4 का वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी स0 5 फरीकार राज को तर्क किया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी में वादी बंशीलाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य म फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम शोराटाडा सम्वत् 2019 प्रदर्श 1, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम श्योराटाडा सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श : प्रदर्शित कराये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि प्रतिवादी सं0 1 को उक्त कृषि भूमि अपने दादा मामचंद से विरासतन प्राप्त हुई है। चूंकि सुलतान के पिता नंदराम का देहान्त मामचंद के देहान्त से पहले हो चुका था। वाद कृषि भूमि सयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद पैतृक सम्पति है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम श्योराटाडा व राजस्व रिकार्ड मे अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 को विरासतन प्राप्त होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम शोराटाडा सम्वत् 2019 प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद कृषि भूमि वादी के परदादा मामचन्द वल्द गोमद के नाम दर्ज है जिससे वाद कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 को विरासतन प्राप्त होना व वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में सुलतान के वारिसान मे पत्नी परमेश्वरी देवी, तीन पुत्र कृष्ण कुमार, लीलूराम व बशीलाल एवं एक पुत्री सन्तोष होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नही होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा श्योराटाडा के खाता सं0 109/107 के खसरा सं0 164 की 0.253 है0, खसरा सं0 257 की 10.3070 है0, खसरा सं0 258 की 5.7920 है0 कुल क्षेत्रफल 16.3520 है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम से 1/3 हिस्सा बारानी खातेदारी काश्तकारी भूमि दर्ज है का तन्हा प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 3 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया स0 4 संतोष ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 चारों के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 3 चारों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11-3-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 35/2020

उनवान :

1. बशीलाल पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. सुलतान पुत्र नंदराम जाति जाट निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. कृष्ण कुमार पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. लिलूराम पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. सन्तोष पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादी स0 1 ता 4 श्री रोहताश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा श्योराटाडा के खाता सं0 109/107 के खसरा स0 164 की 0.253 है0, खसरा सं0 257 की 10.3070 है0, खसरा सं0 258 की 5.7920 है0 कुल क्षेत्रफल 16.3520 है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 1 सुलतान के नाम से 1/3 हिस्सा बारानी खातेदारी काश्तकारी भूमि दर्ज है का तन्हा प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 4 संतोष ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 चारों के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 चारों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11-3-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(मुकेश बारैठ)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner